भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1478

04 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत बकाया राशि

1478. श्रीमती माला राय:

श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के संबंध में राज्य सरकारों के पास/के लिए कोई राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार उक्त बकाया राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बकाया राशि के भुगतान की संभावित तिथि क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ग): खाद्यान्नों की केंद्रीय पूल की खरीद के लिए राज्यों को ग्राह्य राशि का भुगतान राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा लागत शीट के अनुसार किए गए दावों के आधार पर भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा किया जाता है, जिसमें खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और अन्य प्रासंगिक व्यय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वे राज्य जिन्होंने विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) पद्धति को अपनाया है, उनकी खाद्य सब्सिडी के तिमाही दावों के आधार पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा खाद्य सब्सिडी जारी की जाती है जो कि एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है। विभिन्न केंद्रीय स्कीमों के तहत स्टॉक के अथ शेष और अंत शेष, खाद्यान्नों की खरीद, आबंटन और वितरण, भारतीय खाद्य निगम के समायोजन, प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र, खाद्यान्नों की आर्थिक लागत, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग पोर्टल पर डाटा का अद्यतनीकरण आदि को ध्यान में रखते हुए इन दावों को प्रोसेस किया जाता है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, राज्य सरकारों को उनके दावों के प्रति खाद्य सब्सिडी की ग्राह्य राशि निरंतर जारी कर रही है। भारतीय खाद्य निगम और विकेंद्रीकृत खरीद अपनाने वाली राज्य सरकारों को वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 (अक्तूबर 2024 तक) के दौरान क्रमशः 2,88,718.54 करोड़ रुपये, 2,72,501.69 करोड़ रुपये, 2,11,394.39 करोड़ रुपये और 1,40,239.10 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। डीसीपी राज्यों को जारी की गई राशि का विवरण **अनुबंध-I** में संलग्न है।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 04.12.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1478 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2021-22 से डीसीपी राज्यों को जारी की गई खाद्य सब्सिडी का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (अक्तूबर 2024 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	9323.38	6635.97	6268.19	5498
2.	बिहार	7671.9	10966.1	6557.64	7032.12
3.	छत्तीसगढ़	9047.77	7574.81	5236.13	17.96
4.	गुजरात	749.43	311.54	267.83	2.49
5.	कर्नाटक	1682.12	2191.75	1222.13	120.68
6.	केरल	1777.86	1544.89	1151.85	369.86
7.	मध्य प्रदेश	14420.62	9471.5	16939.27	3449.05
8.	महाराष्ट्र	4082.07	2725.75	3923.29	327.74
9.	ओडिशा	7892.69	7600.05	14473.68	4671.18
10.	पंजाब	2047.53	1202.49	2064.56	661.26
11.	तमिलनाडु	6250.93	8685.95	7072.53	3178.16
12.	तेलंगाना	7665.02	5242.76	5367.07	2592.1
13.	उत्तराखंड	1554.43	1212.25	724.39	517.3
14.	पश्चिम बंगाल	5421.34	6580.11	-	1535.42
15.	झारखंड ##	-	-	42.77	342.97
16.	त्रिपुरा	15.58	148.67	106.51	35.79
17.	डीबीटी* और विविध	186.87	187.9	267.6	105.31
18.	हिमाचल प्रदेश $			47.38	-
कुल		79789.54	72282.49	71732.82	30457.39

नोट:

##झारखंड केएमएस 2016-17 (केवल 1 जिले के लिए), केएमएस 2017-18 (केवल 5 जिलों के लिए), केएमएस 2018-19 (केवल 6 जिलों के लिए) के लिए डीसीपी राज्य था। इस राज्य ने केएमएस 2019-20 में गैर-डीसीपी पद्धति को अपना लिया है। वित्त वर्ष 2023-24 में डीसीपी को अपना लिया है।

हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2023-24 में डीसीपी पद्धति को अपना लिया है।

*डीबीटी योजना के अंतर्गत, वर्ष 2015-16 से चंडीगढ़, पुदुचेरी और दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सब्सिडी जारी की गई है।

*****